

14/6 पत्रावली पेश हुई। वादीगण व वकील

2022

वादीगण एवं वकील प्रतिवादीगण उपस्थित। वादीगण
व वकील वादीगण ने कि जोड अमानतची भावन
से उरित होकर हमारे मध्य राजीनामा हो चुका है
अतः वाड में हमारे कोई कार्यवाही नहीं चाहते
है। वादीगण का वाड बिड्डा की अनुमति के साथ
खारिज किया जाये। वादीगण व वकील वादीगण
के अनुरोध पर शर्त वादीगण बिड्डा की अनुमति
के साथ खारिज किया जाता है। पर्याप्त के सब
शुका होकर नाम से कल होकर उपलब्ध करिष्य
है।



(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)